न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 89/2012

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मृतक नारायण पुत्र पुनमा जाति भील निवासी गिरादडा के का0मु0 1 गीतादेवी बेवा नारायण 2 दीपाराम पुत्र नारायण 3 भीकाराम पुत्र नारायण जरिये कुदरती वलिया माता गीतादेवी जातिगण भील निवासीगण गिरादडा तहसील पाली		1 मिसरा पुत्र जेपाराम जाति मेघवाल निवासी आसन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसील पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15-11-18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 39/2008 सरकार बनाम नारायण वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.09.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने के पश्चात विधि में विहित प्रारूप में अपीलाण्ट को नोटिस ही जारी नहीं किया। अपीलाण्ट को जो नोटिस मिला, उसमें कहीं भी यह अंकित नहीं था कि अपीलाण्ट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किस कानून का उल्लंघन किया गया है। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु अधिवक्ता को नियुक्त किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह उज्र उठाया गया कि जैर अपील विवादित आराजी का अपीलाण्ट द्वारा विक्रय किया गया है, जो धारा 42बी का उल्लंघन है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलाण्ट के पति/पिता द्वारा किसी भी रूप से भूमि का विक्रय नहीं किया गया। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वाद हेतुक प्रकट होना दर्शाते हुए प्रकरण दर्ज कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान करना बताते हुए जैर अपील प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसमें पक्षकारान् के पते भी गलत अंकित किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के पति/पिता नारायण द्वारा जैर अपील विवादित आराजी का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है, जो पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये किया गया है। उक्त बेचान दस्तावेज के साथ ही मौके पर भौतिक रूप से कब्जा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुपुर्द किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उनके पति/पिता द्वारा भूमि का बेचान नहीं किया गया है, यह तथ्य निराधार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमि के नामान्तरकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार पाली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पैरवी हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट नारायण फौत होने पर अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया, किन्तु वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी ग्राम जवडिया के खसरा नम्बर 616/1 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि अपीलाण्ट नारायण पुत्र पूनमा जाति भील निवासी गिरादडा की खातेदारी भूमि थी, जिसका बेचान नारायण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 06.10.1998 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मिसरा पुत्र जैपाराम जाति मेघवाल निवासी आसन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहसील मारवाड़ जंक्शन के पक्ष में निष्पादित किया। चूंकि अपीलाण्ट की जाति भील है, जो अनुसूचित जनजाति में शुमार होती है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जाति मेघवाल है, जो अनुसूचित जाति में शुमार होती है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी का उल्लंघन है। इस कारण जैर अपील विवादित आराज को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा दौराने विचारण अपीलाण्ट नारायण फौत होने पर उनके का0मु0 अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में यह तो साबित हो चुका है कि अपीलाण्ट के पति/पिता द्वारा भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये बेचान किया जा चुका है, हालांकि अब अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 उक्त विक्रय विलेख को ही शून्य होना बताते है, जबकि यदि यह तथ्य सत्य होता, तो उनके द्वारा उक्त विक्रय विलेख को शून्य घोषित कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जाती, जो नहीं की गई एवं न ही अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई तथ्य ही प्रस्तुत किया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनके द्वारा उक्त विक्रय विलेख को Discradit करवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही ही की गई हो। अपीलाण्ट जाति से भील है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जाति मेघवाल है, इससे यह प्रमाणित होता है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी भूमि का बेचान हस्तान्तरण किया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी का स्पष्ट उल्लंघन है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का Specific deny नहीं किया था, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 39/2008 सरकार बनाम नारायण वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.09.2012 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली